

वाद सं 17/12-2012 द्वारा 143 जनक वीरमोना नुपची
 कप्तान सिंह सचिव जनास उ० प्र० सरकार ता.पिरोजाबाद 14/5/2013 h 26
 भा.मालम उ० जिलाधिकारी जसराणा
 धारा 143 ज० वि० अधि० न्यायालय उप जिलाधिकारी, जसराणा।

वादसंख्या 17 /2012-2013 ग्रामनग लाधीरतहसीलजसराणा।
 कप्तान सिंह सचिव सुमन, प्रकाश बनाम उ० प्र० सरकार
 महाविद्यालय न० क्लिन सिंह धारा 143 ज० वि० अधि०

आदेश

प्रस्तुत मामलेमें प्रार्थी/वादीसचिव कप्तान सिंह पुत्र श्री होतीलाल सुमन प्रकाश महाविद्यालय न० क्लिन सिंह पुल छडीत तहसीलजसराणा जिलापिरोजाबाद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 29-12-2012 पर तहसीलदारजसराणासे जांच करायी गयी। तहसीलदार जसराणा ने आख्या दिनांक 26-2-2013 धारा 143 के नियम 135 के अन्तर्गत आख्या घोषित किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत की है। जिसमें उल्लेख किया है कि ग्रामनगला धीर की छातासंख्या 165 की गाँवसं० 2591 रकबा 0-80 है 0 लगान 20-00 रूपया व छातासंख्या 379 की गाँवसंख्या 805/0-352 व 806 रकबा 0-024 है व 701 मि० रकबा 0-049 है कुल तीन किता रकबा 0-425 है 0 के 1/2 भाग यानी 0-212 है 0 सुमन प्रकाश महाविद्यालय कप्तान सिंह पुल छडीत जसराणा सचिव कप्तान सिंह पुत्र होतीलाल संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। जिस पर वर्तमानमें कृषि, बागवानी, कुक्कुटपालन व मत्स्यपालन आदि का कार्य नहीं हो रहा है। अतः छातासंख्या 165 की गाँवसं० 2591 रकबा 0-80 है 0 लगान 20-00 रूपया पूर्ण भाग व छातासंख्या 379 की गाँवसंख्या 805 रकबा 0-352 है 0 व 701 मि० रकबा 0-049 है 0 व 806/0-024 कुल तीन किता रकबा 0-425 है 0 के 1/2 भाग यानी 0-212 है 0 को अर्ध/आधा दी घोषित किये जाने हेतु आस्तुतिसहित प्रेषित की है।

आख्या के साथ साक्षयके रूपमें खतौनी 1415-1420 छातासंख्या 379 व 165 व खसरा सन् 1420 पसली दो किता जोतवखन्दी आकार पत्र 41 व 45 मीके कानका नजरी व स्थलीय फोटो भी संलग्न किये हैं।

मेरे द्वारा द्वारा प्रार्थी वादी को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदारकी आख्या का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि उक्त गाँवसंख्याओं पर वर्तमानमें कृषि कार्य, बागवानी, कार्य व कुक्कुटपालन एवं मत्स्यपालन आदि का कार्य नहीं हो रहा है। अतः आख्यासे स्पष्ट है। अतः उक्त भूमि को आधा दी घोषित किया जाना उचित होना है।

अतः न्यायहितमें ग्रामनगला धीर की खतौनी पसली वर्ध 1415-1420 के छातासंख्या 165 के गाँवसं० 2591 रकबा 0-80 है 0 लगान 20-00 रूपया व खतौनी पसली वर्ध 1415-1420 के छातासंख्या 379 के गाँवसं० 805/0-352, व 806/0-024, व 701 मि० रकबा 0-049 है 0 कुल तीन किता रकबा 0-425 है 0 के 1/2 भाग 0-212 है 0 जो वर्तमानमें राजस्व अभिलेखीमें सुमन प्रकाश महाविद्यालय न० क्लिन सिंह पुल छडीत जसराणा द्वारा सचिव कप्तान सिंह पुत्र होतीलाल निवासी नगला गो कुल के नाम अंकित है। को धारा 143 ज० वि० अधि० के अन्तर्गत लगान मुक्त करते हुये आधा दी घोषित किया जाता है। तदनुसार पत्रावली आलवारा मजदारी हो वा दआ वश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दपत्तर हो।



(Signature)
 अध्यक्ष

(Signature) / 69